International Journal of Research in Social Science
Vol. 12 Issue 07, July 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

बालकों में बाल अपराधवृत्ति पर विभिन्न कारकों का प्रभाव

किसलय कुमार, शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र)
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

बाल अपराध एक समाज विरोधी अपराध है जो एक गंभीर समस्या है यदि बाल अपराध को उचित समय पर सही निर्देशन व उपचार के द्वारा इस प्रवृत्ति को समाप्त नहीं किया जाता है तो वह समाज, राष्ट्र और स्वयं अपने भविष्य के लिए समस्या बन जाता है।

बाल अपराध के संबंध में सामाजिक वैज्ञानिकों के विचार दोषपूर्ण, अपर्याप्त और भ्रामक हैं। 1986 के Juvenile Justice Act के अनुसार आज बाल अपराधियों को अधिकतम आयु लड़कों के लिए 16वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है परन्तु इससे पहले Children Act के अनुसार यह विभिन्न राज्यों में भिन्न–भिन्न थी। उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में यह 16 वर्ष थी परन्तु बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में यह 18 वर्ष थी, असम, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में यह लड़कों के लिए 16 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष थी फिर भी आयु के अतिरिक्त अपराध की प्रवृत्ति भी इतनी ही महत्वपूर्ण है।

बाल अपराध में साधारण उदण्डता से लेकर चोरी, हत्या तथा बलात्कार जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। साधारणतः बाल अपराधी हम उस अपराधी को कहते हैं जिसमें समाज विरोधी प्रवृत्तियां होती हैं।

Walter Reckless 1956 के अनुसार बाल अपराध शब्द का प्रयोग दंड–संहिता के उल्लंघन एवं अन्य व्यवहार के संरूपों के अनुसरण के लिए किया जाता है जो बच्चों और कम आयु के किशोरों के लिए अनुचित माने जाते हैं। इस प्रकार आयु एवं व्यावहारिक उल्लंघन जो कानून में वर्जित है दोनों ही बाल अपराध की अवधारणा में महत्वपूर्ण है।

बाल अपराधियों का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न आधारों पर किया गया है।

Harsh (1937) ने अपराधों के प्रकार के आधार पर 6 समूहों में वर्गीकृत किया है।

(क) भगोड़ापन – घर या स्कूल से भागना
(ख) चोरी – चोरी से लेकर लूटपाट तक
(ग) असाश्यता– देर से घर आना, आज्ञा उल्लंघन
(घ) संपत्ति विध्वंश – इसके अन्तर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों संपत्तियों का ध्वंश करना
(ड.) हिंसा – समाज के विरूद्ध शस्त्रों का प्रयोग
(च) यौन अपराध – इसके अन्तर्गत समलैंगिकता से लेकर बलात्कार तक की समस्याएं शामिल है।

Ivan and Poke (1969) ने बाल अपराधियों के प्रकार के अनुसार 5 समूहों में इसे बांटा है –

(क) छोटे उल्लंघन– इसके अन्तर्गत उपद्रवी और यातायात नियमों के छोटे उल्लंघन शामिल है।
(ख) यातायात नियमों के भारी उल्लंघन – इसके अन्तर्गत मोटरवाहनों की चोरियां शामिल है।
(ग) संपत्ति के उल्लंघन

(घ) वयस्क– जिसके शराब और मादक पदार्थों का लत शामिल है।
(ङ) शारीरिक चोट– जिसके अन्तर्गत मानव हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं शामिल है।

Robert Tavenor (1973 : 59) ने बाल अपराधियों का वर्गीकरण करते हुए यह बतलाया है कि बाल अपराधियों की श्रेणियों में आकस्मिक असमानीकृत, आक्रामक, अनियमित,पेशेवर और संगठित गिरोह पाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधियों का उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं या उनके व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक गतिकी के आधार पर 5 समूहों में वर्गीकृत किया है।

(i) मानसिक रूप से दोषपूर्ण
(ii) मानसिक रोग से ग्रसित
(iii) नाड़ी रोग से पीड़ित
(iv) परिस्थितिजन्य
(v) सांस्कृतिक

1. पारिवारिक दशाएं

परिवार का बालक पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है।

(i) नष्ट घर – परिवार या माता–पिता में से एक अथवा दोनों की मृत्यु हो जाने, तलाक होन पर, त्यागने या किसी के कारावास जाने की वजह से नष्ट हो जाते है। आमतौर पर उनके बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति देखी जाती है।

(ii) अर्थनष्ट घर – माता–पिता के जीवित रहने पर भी घर नष्ट हा जाते हैं इन्हें अर्थनष्ट घर कहते हैं। इससे अभिप्राय अस्वस्थ परिवार से है। स्त्रियों का फैक्ट्री या अन्यत्र कार्य करना जिससे परिवार की उचित व्यवस्था संभव नहीं हो पाती है। पिता का सेना या कोई ऐसी नौकरी करना जिसमें वे अधिक समय तक घर से अनुपस्थित रहते हैं इत्यादि।

2. अवैध, पितृत्व या अवांछनीय संतान– अवैध माता–पिता के जो बच्चे उत्पन्न होते है वैसे बच्चों को समाज में जगह नहीं मिल पाता है और न ही परिवार में उचित ढंग से रख–रखाव हो पाता है वैसी स्थिति में बच्चे संपूर्ण समाज को दुश्मन के रूप में मानना शुरू कर देते है जिससे अपराध की प्रवृत्ति उनमें बढ़ती चली जाती है।

3. अनैतिक परिवार–जिस घर में यौन संबंधी अनैतिक आचरण मान्य होता है, मद्यपान करना बुरा नहीं माना जाता है, जहां झूठ बोलना अश्लीलता तथा अभद्रता का व्यवहार किया जाता है उस परिवार के बच्चों में अनैतिकता और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है।

4. माता–पिता द्वारा उपेक्षा – उस परिवार के बच्चे जहां माता–पिता और परिवार के अन्य सदस्य बच्चों के प्रति उदासीन होते हैं उसे उचित रूप से संरक्षण नहीं दे पाते हैं तथा प्यार से उनको वंचित रखा जाता है वैसे परिवार के बच्चो में असामाजिक कार्यों में व्यस्तता अधिक पाई जाती है।

5. अतिव्यस्त माता–पिता– अति व्यस्त माता–पिता अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पात हैं और बच्चे स्वेच्छापूर्वक घुमा करते है परिणामस्वरूप अनियंत्रित हो जाते हैं।

6. कमजोर परिवार का नियंत्रण– औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप माता–पिता की व्यस्तता बढ़ जाने से वे बच्चों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं इसका परिणाम यह होता है कि बच्चा बुरी संगति में पड़ जाता है और अपराध की ओर आसानी से मुड़ जाता है।

7. भाई–बहन का प्रभाव – जिस परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होती है उस परिवार के बच्चों में घरेलु वातावरण का अपराध से घनिष्ट संबंध देखा जाता है। भाई–बहन की अधिक संख्या कलहपूर्ण वातावरण उपस्थित करता है।

8. अत्यधिक प्रेम – पारिवारिक नियंत्रण का अभाव बालकों को अपराधी बना देते हैं। अधिकतर यही देखा जाता है कि जिस परिवार में बच्चे की सभी आवश्यकताएं अच्छी हो या बुरी पूरी की जाती है उसका परिणाम आगे चलकर अपराधी प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है।

9. पारिवारिक तनाव – पारिवारिक तनाव निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। पति–पत्नी के स्वभाव में विरोधाभास से, जीवन दर्शन में अंतर से, यौन प्रतिक्रिया से, मनोव्यवहारिक व्यक्तित्व के कारण अनुपयुक्त घर इत्यादि।

10. पड़ोस – परिवार के बाद पड़ोस की भूमिका पाई जाती है। पड़ोस का प्रभाव भी अपराध प्रवृत्तियों में देखा जाता है।

11. शारीरिक कारक – शारीरिक कारकों के कारण भी अपराध की प्रवृत्ति पाई जाती है। शारीरिक दोष भी इस पर अपना प्रभाव डालता है।

12. मनोवैज्ञानिक कारण –

(क) मानसिक हीनता – गोडाड ने यह विचार व्यक्त किया कि मानसिक अपराध का एकमात्र
कारण है बुद्धिहीनता

(ख) साइकोपैथिक वयस्क– बाल अपराध के लिए यह भी महत्वपूर्ण दशा है।

(ग) न्यूरोटिक बालक और हीनता की भावना भी बाल अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है।

13. समुदाय तथा बाल अपराध –

(i) मनोरंजन के साधनों का अभाव – स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का अभाव भी बाल अपराध की प्रवृत्ति को जन्म देता है।

(ii) समाचार पत्र – ट्रेफट ने अपराध बढ़ाने में अखवार की भूमिका किस प्रकार होती है विस्तार से उल्लेख किया है।

(iii) अश्लील साहित्य – अश्लील साहित्य की भी बाल अपराध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है

(iv) चलचित्र – सिनेमा व्यावसायिक मनोरंजन के साधनों में सर्वोपरि है परन्तु इसका प्रभाव बहुत ही बुरा है।

14. युद्ध – युद्ध काल में समाज का विघटन बढ़ जाता है यह बाल अपराध को जन्म देता है।

15. निवास संबंधी कारक – आवास जिस वातावरण में होता है उसका प्रभाव बच्चे पर उसी के
अनुरूप पाया जाता है।

16. आर्थिक कारक – आर्थिक कारण भी अपराध को बढ़ाते हैं, निर्धनता, भुखमरी, बेकारी,
मौसमो बेकारी, आर्थिक असंतोष इत्यादि।

17. संगति– संगति का बाल अपराध पर स्पष्ट रूप से प्रभाव पाया जाता है।

इस प्रकार उपर्युक्त उल्लेखों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बाल अपराध में बहुत सारे कारक तत्व अपना प्रभाव डालते हैं जिससे बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति देखने की मिलती है। इससे संबंधित सभी तथ्यों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

(**References**)

1. Jenkins, Richard L. "Motivation and Frustration in Delinguency" in American Journal of ortho psychiatry 1957
2. Reckless Walter , G. "Hand book of Practical suggestions for the Treatment of Adult and Juvenile offenders, Government of India 1956
3. Becker Howard S. Social Problems : A modern approach John Wiley & Sons, Inc. New Yourk 1966
4. Martin Gold, "Status forces in Delin quent Boys' in Rodman and Grams, Juvenile Delinquency and the family 1976

———× ———